[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.56/2018- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है, की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और परिषद् की सिफारिशों पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 32/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 सितंबर, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1158(अ) तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, □ □ □ □ □ □ □ □□ □ □ □ □ □ □ □ व्यक्तियों के प्रवर्गों को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ऐसे व्यक्ति' कहा गया है) विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट होगी–

(i) ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे हस्तशिल्प माल का अन्तरराज्यिक कराधेय प्रदाय कर रहे हैं, अधिसूचना सं. 21/2018-केंद्रीय कर (दर), तारीख 26 जुलाई, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 695(अ) तारीख 26 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के "स्पष्टीकरण" में परिभाषित है और अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद के अधीन आते हैं और जिनका विवरण उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (3) में कि तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित और उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित नाम पद्धति (एचएसएन) कूट की सुमेलित पद्धति के उत्पादों की अंतर्राज्यिक कराधेय प्रदाय कर रहे हैं के, जब शिल्पकारों द्वारा उत्पाद का प्रमुख रूप से निर्माण हाथ द्वारा किया जाए, तथापि इस प्रक्रिया में कुछ मशीनों का भी उपयोग किया जा सकेगा :--

सारणी

क्र.सं.	**उत्पाद**	**एचएसएन कोड**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	चमड़े की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत थैला, पर्स, जीनसाजी, साज, वस्त्र भी हैं)	4201, 4202, 4203
2	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत सन्दूक, जड़ाऊ कार्य, डिब्बे, पीपा भी हैं)	4415, 4416
3	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत टेबल और रसोई बर्तन भी हैं)	4419

4	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद	4420
5	काष्ठ के घुमावदार और रलाक्षबर्तन	4421
6	बांस उत्पाद (सजावटी और उपयोगी वस्तुएं)	46
7	तृण, पत्तियां और सरकंडा तथा फाइबर उत्पाद, चटाई, थैलियां, पेटियां	4601, 4602
8	कागज मेश की वस्तुएं	4823
9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद)	जिनके अंतर्गत 50, 58, 62, 63 भी हैं
10	टैक्सटाइल हस्तमुद्रण	50, 52, 54
11	जरी धागा	5605
12	कालीन, रग और दरी	57
13	टैक्सटाइल, हस्त कशीदाकारी	58
14	थिएटर पोशाक	61, 62, 63
15	कयर उत्पाद (जिनके अंतर्गत चटाइयां, गद्दे भी हैं)	5705, 9404
16	चमड़े का जूता	6403, 6405
17	उत्कीर्णित प्रस्तर उत्पाद (जिनके अंतर्गत प्रतिमा, लघु प्रतिमा, जन्तुओं की आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती दान भी हैं)	6802
18	प्रस्तर जड़ाऊ कार्य	68
19	मिट्टी के बर्तन तथा मृत्तिका उत्पाद, जिसके अन्तर्गत टैराकोटा भी है	6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914
20	धातु टेबल तथा रसोई बर्तन (ताम्र, पीतल के बर्तन)	7418
21	अध्याय 73 और 74 की धातुओं के सज्जीकरण के लिए प्रयुक्त किस्म की धातु की मूर्तियां, प्रतिमा/मूर्तिदान, कलश और क्रॉस	8306
22	धातु बिदरीवेयर	8306
23	संगीत वाद्य यंत्र	92
24	सींग और अस्थि उत्पाद	96
25	शंख सीपी शिल्प वस्तुएं	96
26	बांस फर्नीचर, केन/बेंत के फर्नीचर	94
27	गुड़िया और खिलौने	9503
28	लोक चित्रकारी मधुबनी, पतचित्रा, राजस्थानी लघु चित्र आदि	97

परंतु यह कि ऐसे व्यक्ति अधिसूचना सं. 03/2018-एकीकृत कर, तारीख 23 अक्तूबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.1052(अ) तारीख 22 अक्तूबर, 2018 द्वारा में प्रकाशित की गई थी, का लाभ उठा रहे हैं ।

परंतु यह और कि अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले ऐसे प्रदायों का संकलित मूल्य उस संकलित आवर्त की रकम से अधिक नहीं होगा जिसके ऊपर कोई प्रदायकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 22 के स्पष्टिकरण के खंड (iii) के साथ पठित उस धारा की उपधारा (1) के अनुसार राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है ।

2. पूर्ववर्ती पैरा में वर्णित ऐसे व्यक्ति स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करेंगे और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपबंधों के अनुसार ई-वे बिल सृजित करेंगे ।

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी (भाग)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार